

कार्यालय-मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय आदेश
स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के कम में जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित पशुधन सहायकों का स्थानान्तरण उनके सम्मुख संस्था पर किया जाता है।

सुगम से दुर्गम

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती संस्था	स्थानान्तरण फलस्वरूप नवीन तैनाती संस्था	अभ्युक्ति
1	श्री जगदीश प्रसाद	पशुचिकित्सालय नौगांव	पशुचिकित्सालय राजगढी	जनहित
2	श्री मनमोहन सेमवाल	पशुचिकित्सालय बडकोट	पशुचिकित्सालय हनुमानचट्टी	जनहित
3	श्री सुभाष	पशुचिकित्सालय चिन्यालीसौड	पशुचिकित्सालय बनचौरा	जनहित
4	श्री कमल	पशुचिकित्सालय सदर ज्ञानसू	पशुचिकित्सालय भंकोली	जनहित

दुर्गम से सुगम

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती संस्था	स्थानान्तरण फलस्वरूप नवीन तैनाती संस्था	अभ्युक्ति
1	श्री कुन्दन लाल	पशुचिकित्सालय हनुमानचट्टी	पशुचिकित्सालय स्यालना	जनहित

अनुरोध के आधार पर

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती संस्था	स्थानान्तरण फलस्वरूप नवीन तैनाती संस्था	अभ्युक्ति
1	श्रीमती कुसुम देवी	पशुचिकित्सालय बनचौरा	पशुचिकित्सालय चिन्यालीसौड	निजि अनुरोध
2	श्री प्रहलाद सिंह	मेढा केन्ट अग्रबडियार	पशुचिकित्सालय गुन्दियाटगांव	निजि अनुरोध
3	श्री प्यार सिंह पंवार	पशुचिकित्सालय डामटा	पशुचिकित्सालय डुण्डा	निजि अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिकों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त किया जाय। किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का दबाव डालने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य/आचरण को कर्मचारी आचरण नियमावली उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 में संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

निजि अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० प्रलयंकर नाथ)
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
उत्तरकाशी।

पृ०सं० 490/स्थापना-दो/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक 24.06.2019
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
2. सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी पशुचिकित्सालय।
3. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढवाल मण्डल पौड़ी।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।